



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35602

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6307/2026

जोगिंदर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अनुराग बिश्नोई, आशीष कुमार श्रीवास्तव, अतुल कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. प्रतिवादी संख्या 3, यानी उप-विभागीय अधिकारी, सदर, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 10.09.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है; जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 4, यानी श्री राम विनय राजभर के पक्ष में दस वर्षों के लिए मछली पालन का पट्टा प्रदान किया गया है।
2. याचिकाकर्ता के पास, यू.पी. राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 65(1) के तहत प्रावधानित प्रक्रिया के अनुसार, कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके उक्त आवंटन को चुनौती देने का एक वैधानिक अधिवक्तापिक उपचार उपलब्ध है।
3. तदनुसार, वैधानिक अधिवक्तापिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

17 फरवरी, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”